संख्याः 150 /18(1)/2006

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांक 24 मार्च, 2006

विषयः—वित्तीय वर्ष 2005—06 में जनपद अल्मोड़ा की नवसृजित तहसील भनौली के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—3801/नौ—16/2003—04 दिनांक 15 फरवरी, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तहसील भनौली के आवासीय/अनावासीय भवनों के उपलब्ध कराये गये आगणन रु0 149.72 लाख का टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाये गये आगणन रु0 137.55 लाख पर प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु रु0 25.00 लाख (रु0 पच्चीस लाख) की धनराशि को संलग्न बी0एम0—15 के अनुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यवर्तन द्वारा व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक है।

2— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

3— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4— एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

..............(2)

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

7– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानी जायेगी। कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति उपलब्ध कराने के उपरान्त ही आगामी किश्त निर्गत की जायेगी।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जावे।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

10– सर्वप्रथम अनावासीय भवनों का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा। अनावासीय भवन पूर्ण होने के उपरान्त ही आवासीय भवन का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–आयोजनागत–051–निर्माण–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0103–तहसीलों के अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–162/XXVII(5)/2006 दिनांक 24 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
3– निजी सचिव, मुख्यमंत्री।
4– अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
5– अपर सचिव, नियोजना विभाग, उत्तरांचल शासन।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
7– वित्त अनुभाग–5, उत्तरांचल शासन।
8– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग , अल्मोड़ा।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

[illegible]

पुनर्विनियोग 2005-06 विवरण पत्र

नियंत्रक अधिकारी- प्रमुख सचिव   प्रशासनिक विभाग-लोक निर्माण विभाग   अनुदान संख्या-5   (धनराशि हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार आवंटित व्यय	दिनांक तक के व्यय सहित में अनुमानित व्यय	उपलब्ध (बचत) धनराशि	पुनर्विनियोग द्वारा धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के पूर्व कालम-5 की मूल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद कालम-6 में उपलब्ध धनराशि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या-5 [illegible] निर्माण-80-अन्य व्यय [illegible] निर्माण [illegible] का निर्माण- 200	158.16	00	41.84	अनुदान संख्या-5 [illegible] निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-अन्य व्यय [illegible] निर्माण [illegible] भवनों का निर्माण- 25	935	1624	[illegible]
200	158.16	00	41.84	25	935	1604	

[illegible]

सेवा में,
महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून।

(मोहन कार्की)
अपर सचिव, उत्तरांचल।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-5
सं० 162/वित्त अनुभाग-5/2006
देहरादून, दिनांक 24 फरवरी, 2006

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(प्रदीप सिंह)
अपर सचिव, वित्त

संख्या- 170/वित्त/2006 तद्दिनांक
प्रतिलिपि कोषाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- वित्त अनुभाग-5

आज्ञा से,

(मोहन कार्की)
अपर सचिव, उत्तरांचल।